न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील /13/2019

ज्ञानसिंह पुत्र हेती जाति जाटव निवासी ग्रांम तुहिया तहसील व जिला भरतपुर

.....अपीलार्थी

बनाम

1–तहसीलदार भरतपुर

2–किरनदेई पुत्री तेजा जाति जाटव निवासी तुहिया तहसील व जिला भरतपुर हाल निवासी भीम नगर तहसील बयाना जिला भरतपुर

.....असल रेस्पो.

3–वत्तो पुत्री हेती (मृतक)

3/1–लक्ष्मी पुत्री पूरन जाति जाटव निवासी दाऊदपुर तहसील किरावली जिला आगरा यू.पी.

4–(मृतक)सन्तो पुत्री हेती जाति जाटव निवासी ग्राम तुहिया तहसील भरतपुर

4/1–मानिक चंद । पुत्रगण सन्तो पुत्री हेता जाति जाटव निवासी

4/2–तुलाराम उर्फ टुण्डाराम । तुहिया तहसील व जिला भरतपुर

.....तरतीवी रेस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1955 विरुद्ध आदेश तहसीलदार भरतपुर बाबत नामान्तकरण संख्या 1179 दिनांक 20.5.2017 बाके ग्रांम तुहिया तहसील भरतपुर

———

उपस्थितः–

1– श्री प्रमोद उपमन,अभिभापक अपीलान्ट,

2– श्री चन्द्रपाल, अभिभापक रेस्पो.

3– पैरोकारअसरकार रेस्पो –1

निर्णय दिनांक 12.02.2025

अपीलान्ट ने यह अपील विरुद्ध रेस्पो0 वखिलाफ नामान्तकरण संख्या 1179 दिनांक 20.5.2017 वाके ग्रांम तुहिया तहसील भरतपुर, पेश की गई है। अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 1179 दिनांक 20.5.2017 रेस्पो. नं. 2 के हक में विरासत का स्वीकार किया गया है। उक्त नामान्तकरण से व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 16.8.2019 को पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। तहत पत्रावली नामान्तकरण तलव की गई। तहसीलदार भरतपुर के पत्रांक एल.आर. /5344 दिनांक 11.9.2019 से सत्यप्रतिलिपि नामान्तकरण संख्या 1179

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

दिनांक 20.5.2017 प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली किया गया। रेस्पो.3/1 लक्ष्मी पुत्री पूरन व मां बत्तो की ओर से राजीनामा पेश हुआ जो शामिल पत्रावली है। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये जाहिर किया कि नारायन पुत्र हेती के मृत्यु होने के वाद विरासत में किरनदेई को हेती की पुत्री दर्शाकर अपीलाधीन नामान्तकरण स्वीकार किया गया है जो गलत है। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमो में अंकित सजरा की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुये बताया कि हेती के किरनदेई नाम की कोई पुत्री नहीं है। हेती के केवल दो पुत्र अपीलांट व मृतक नारायनसिंह व दो पुत्रीयॉ बत्तो व सन्तो है दुलारी पत्नी है, दुलारी का स्वर्गवास हो चुका है तथा नारायन लावल्द बिला औरत फोत हो गया है। योग्य अभिभाषक का तर्क है कि तहत न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नही किया है कि किरनदेई मृतक नारायनसिंह की बहन नहीं है और न ही हेती की पुत्री है बल्कि नारानसिंह के वारिसान उसका भाई अपीलांट व तरतीवी रेस्पो. संख्या 3 व 4 है लेकिन तहत न्यायालय ने किरनदेई को मृतक नारायन सिंह की बहन दर्शाते हुये अपीलाधीन नामान्तकरण गलत स्वीकार किया गया है, अपीलाधीन नामान्तकरण को निरस्त किया जावे तथा मृतक नारायनसिंह पुत्र हेती के वारिसान के नाम नामान्तकरण दर्ज कराये जाने के आदेश दिये जाने की प्रार्थना की गई। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील की देरी के सम्बन्ध में बताया कि विवादित आराजी के खसरा नम्बरान की नकल निकलवाने पर दिनांक 6.8.19 को इसकी जानकारी हुई, तब नकल वगै. लेकर अपील पेश की गई। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने बताया कि देरी को क्षमा करने के लिये प्रार्थना पत्र धारा–5 म्याद अधिनियम पेश किया गया है। देरी को माफ करते हुये अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण खारिज किया जाकर मृतक नारायनसिंह पुत्र हेती के वारिसान के नाम नामांन्तकरण स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गई है।

पैरोकार सरकार रेस्पो–1 का तर्क है कि अपील म्याद बाहर पेश की गई है अपील खारिज की जावे। मृतक के विरासत की जांच तहसीलदार स्तर पर की जानी है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया । योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया। प्रथमतः अपील की म्याद बिन्दू पर विचार किया

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर

गया। देरी को माफ करने के लिये अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र धारा–5 म्याद अधिनियम पेश किया गया है। म्याद के सन्दर्भ में आर.आर.डी.2002 पेज 37 में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि :–

" Limitation Act,1963 Section 5 & While considering the question of condonation of delay in filing of revision, appeal or reference by State Govt. the Court,Tribunal or Authority has to first consider merists of the matter and where there is good case on merits the rule is to condone result in public mischief on skilful management of delay in the process of filing appeal etc. and public at large would be sufferer That makes a distinction and category of litigant State as compared to ordinary litigants."

आर0बी0जे0(4)1997 पेज 257, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने प्रतिपादित किया है कि :–

" Liberal view should be Taken in Condoning The Dely in Filling the appeal"

उक्त नज़ीरों की परिप्रेक्ष्य में अपील को अन्दर म्याद शुमार करते हुये, अपील की मैरिट पर विचार किया गया। पत्रावली में उपलब्ध अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 1179 ग्रांम तुहिया एवं रेस्पो. 3/2 लक्ष्मी पुत्री पूरन द्वारा प्रस्तुत राजीनामा का अवलोकन किया गया। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट का मुख्य तर्क है कि अपीलाधीन नामान्तकरण में मृतक नारायनसिंह पुत्र हेती के वारिसान को सही दर्ज नहीं किया गया है, मृतक नारायनसिंह पुत्र हेती के सही वारिसान के नाम नामान्तकरण दर्ज कराया जावे। इस सम्बन्ध में मृतक नारायनसिंह पुत्र हेती की वारिसान की जांच किया जाना आवश्यक है तथा यह भी जांच करें कि किरनदेई किस की पुत्री है। क्या ये नारायण की सगी बहन है? अपीलान्ट द्वारा उठाये गये मुद्दे जांच का विषय है अतः प्रकरण तहसीलदार भरतपुर को वास्ते जांच हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश हैं कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 1179 दिनांक 20.5.2017 खारिज किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार भरतपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि

.....4

जिला कलक्टर
भरतपुर

वे मृतक नारायनसिंह पुत्र हेती जाति जाटव निवासी ग्रांम तुहिया तहसील भरतपुर के वारिसान की विस्तृत जांच करें, ये भी देखें कि किरनदेई किस की पुत्री है। क्या ये नारायण की सगी बहन है? उभय पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर देते हुये पुनः निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 12.02.2025 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
भरतपुर